

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

क्रमांक :- टीपी/2018/262

दिनांक :- 07/3/18
09/3/18

मैसर्स गावड़ कन्सट्रक्शन लि0
जरिये अधिकृत एच. सी. गिरधर
पुत्र श्री भगवानदास गिरधर
निवासी 553 पुलिस लाईन, नजदीक जिम खाना क्लब,
हिसार, हरियाणा।

विषय :- चक 3 एमएल मुरब्बा नं. 06 के किला नं. 2/1, 9, 12, 13, 18 व 23 में भूखण्ड माप 15526.33 वर्गगज का मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविजन 3(ए) के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग/फ्लैटस् के लिए भवन निर्माण स्वीकृति 15 मीटर से अधिक देय बाबत।

प्रसंग :- आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 21.11.2017 एवं 23.02.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रोविजन 3(ए) के तहत न्यास द्वारा जारी भवन निर्माण स्वीकृति आदेश दिनांक 20.04.2017 अनुसार निर्माण स्वीकृति प्रथम चरण में 15 की मीटर की ऊचाई एवं 20000 वर्गमीटर आच्छादित क्षेत्रफल की दी गई थी एवं इससे अधिक की स्वीकृति संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त दी जाने का उल्लेख था।

नगरीय विकास विभाग जयपुर के पत्रांक प.16(25)नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 27.06.2017 एवं पत्रांक प.10(7)नविवि/3/2009 पार्ट-III जयपुर दिनांक 22.06.2017 अनुसार अग्नि शमन विभाग के अस्थाई प्रमाण पत्र के स्थान पर भवन निर्माता से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावेगा कि प्रस्तावित भवन मानचित्र में अग्नि शमन संबंधी आवश्यक मापदण्डों की अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी। ऐसी परियोजनाएँ जिनमें कुल निर्मित क्षेत्र 20000 वर्गमीटर एवं इससे अधिक है तो विकासकर्ता द्वारा पर्यावरण अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना स्वयं के स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी तथा पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र निकाय में जमा करवाना होगा। आप द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

प्रकरण में आप द्वारा अग्नि शमन विभाग, श्रीगंगानगर से अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमांक 236 दिनांक 13.10.2017 प्रस्तुत किया गया है एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 09.12.2016 की छाया प्रति प्रस्तुत कर बिल्टअप ऐरिया 1.5 लाख वर्गमीटर से कम होने के कारण Concern to operate प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है, का उल्लेख किया है।

अतः उपरोक्त के परिपेक्ष्य में आपकी आवेदित भूमि वाके चक 3 एमएल मुरब्बा नं. 06 के किला नं. 2/1, 9, 12, 13, 18 व 23 में भूखण्ड माप 15526.33 वर्गगज में मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविजन 3(ए) के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग/फ्लैटस् के लिए भवन निर्माण स्वीकृति 15 मीटर से अधिक (30 मीटर तक) एवं 20,000 वर्गमीटर से 1.50 लाख वर्गमीटर तक आच्छादित क्षेत्रफल के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाती है। शेष शर्तें पूर्व निर्माण स्वीकृति अनुसार ही यथावत रहेगी।


सचिव

नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर